

MSME के लिये आत्मनिर्भर भारत कोष

प्रलिमिस के लिये:

आत्मनिर्भर भारत, MSME, SEBI, वेंचर कैपिटल फंड, सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, MSME के प्रदर्शन को बेहतर और तेज़ करना।

मेन्स के लिये:

भारत में MSME क्षेत्र की चुनौतियाँ, संबंधित सरकारी नीतियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान **आत्मनिर्भर भारत** कोष के संबंध में बहुमूल्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन की।

आत्मनिर्भर भारत कोष:

- परचिय:
 - **आत्मनिर्भर भारत पैकेज** के हसिसे के रूप में भारत सरकार ने **आत्मनिर्भर भारत (Self-Reliant India- SRI)** कोष के माध्यम से **MSME** में इक्वटी निवेश के लिये 50,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है।
 - SRI फंड, इक्वटी या अरदध-इक्वटी निवेश के लिये मदर-फंड (**Mother-Fund**) और डॉटर-फंड (**Daughter-Fund**) स्ट्रक्चर के माध्यम से संचालित होता है।
 - राष्ट्रीय लघु उद्योग नगिम वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (**NSIC Venture Capital Fund Limited- NVCFL**) को SRI कोष के कार्यान्वयन के लिये मदर फंड के रूप में नामित किया गया था।
 - इसे **SEBI** के साथ श्रेणी- II वैकल्पिक निवेश कोष (**Alternative Investment Fund- AIF**) के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- SRI कोष के उद्देश्य:
 - व्यवहार्य और उच्च क्षमता वाले MSME को इक्वटी फंड प्रदान करना तथा उनके विकास एवं बढ़े उद्यमों में प्रविरत्न को बढ़ावा देना।
 - नवाचार, उद्यमता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देकर भारतीय अरथव्यवस्था में MSME क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना।
 - तकनीकी उन्नयन, अनुसंधान एवं विकास और MSME के लिये बाज़ार पहुँच बढ़ाने के लिये **अनुकूल वातावरण** बनाना।
- SRI कोष की संरचना:
 - SRI कोष में 50,000 करोड़ रुपए शामिल हैं:
 - विशिष्ट **MSME** में इक्वटी निवेश शुरू करने के लिये भारत सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए।
 - निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता तथा निवेश का लाभ उठाते हुए निजी इक्वटी **Private Equity- PE**) और वेंचर कैपिटल (**Venture Capital- VC**) फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए एकत्र किये गए।

नोट:

- **इक्वटी इन्फ्यूजन:** यह मौजूदा शेयरधारकों या नए निवेशकों को अतिरिक्त शेयर जारी करके कसी कंपनी में नई पूँजी या फंड निवेश करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
- **वेंचर कैपिटल फंड (Venture Capital Fund):** यह एक प्रकार का निवेश फंड है जो प्रारंभिक चरण और उच्च विकास क्षमता वाली स्टार्टअप कंपनियों को पूँजी प्रदान करता है।
 - उद्यम पूँजी कोष का प्राथमिक उद्देश्य आशाजनक स्टार्टअप की पहचान करना तथा कंपनी में इक्वटी (स्वामतिव) के बदले में उनमें निवेश करना है।

- **SEBI:** यह भारतीय प्रतिभूति और वनियिम बोर्ड अधनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार **12 अप्रैल, 1992** को स्थापित एक वैधानिक नियम है।
 - SEBI का मूल कार्य प्रतिभूतियों में नविशकों के हतियों की रक्षा करना तथा प्रतिभूतिबाजार को बढ़ावा देना और वनियिमति करना है।

भारत में MSME क्षेत्र की स्थिति:

■ परिचय:

- MSME से तात्पर्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयम से है। भारत का MSME क्षेत्र देश की कुल GDP में लगभग 33% का योगदान देता है, हालाँकि विषय 2028 तक इसका भारत के कुल नियात में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करने का अनुमान है।

What's MSME

Revised Classification applicable w.e.f 1st July 2020

Composite Criteria: Investment in Plant & Machinery/equipment and Annual Turnover

CLASSIFICATION	MICRO	SMALL	MEDIUM
Manufacturing Enterprises and Enterprises rendering Services	Investment in Plant and Machinery or Equipment: Not more than Rs.1 crore and Annual Turnover ; not more than Rs. 5 crore	Investment in Plant and Machinery or Equipment: Not more than Rs.10 crore and Annual Turnover ; not more than Rs. 50 crore	Investment in Plant and Machinery or Equipment: Not more than Rs.50 crore and Annual Turnover ; not more than Rs. 250 crore

II

■ महत्व:

- **रोजगार सृजन:** MSME लगभग 110 मिलियन रोजगार अवसर प्रदान करते हैं जो भारत में कुल रोजगार का 22-23% है।
 - यह बेरोजगारी और अल्प-रोजगार को कम करने, समावेशी विकास के साथ ही नियन्त्रित होने में योगदान करता है।
- **उद्यमता और नवाचार को बढ़ावा:** MSME क्षेत्र उद्यमता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देता है।
 - यह व्यक्तियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिये प्रोत्साहित करता है, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देता है, साथ ही नवीन उत्पादों और सेवाओं के विकास में भी योगदान करता है।
- **ग्रामीण विकास के लिये वरदान:** वृहद स्तर की कंपनियों की तुलना में MSME ने न्यूनतम पूँजी लागत पर ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिकरण में सहायता की है।

■ चुनौतियाँ:

- **बुनियादी ढाँचा और प्रौद्योगिकी:** सीमति वित्त एवं विद्युतजनरेशन के कारण पुराना बुनियादी ढाँचा और आधुनिक तकनीक तक सीमति पहुँच MSME की वृद्धितिथा दक्षता में बाधा बन सकती है।
 - उचित प्रविहन, विद्युत आपूर्ति और संचार नेटवर्क की कमी वैश्वकि स्तर पर प्रतिसिपरदधा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है।
- **जटलि विनियामक वातावरण:** बोझलि और जटलि विनियम लघु व्यवसायों के लिये चुनौतीपूरण हो सकते हैं।
 - कराधान, श्रम, प्रश्यावरण मानदंड आदि से संबंधित विभिन्न कानूनों के अनुपालन के लिये समय, प्रयास और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
- **अपर्याप्त कार्यशील पूँजी परबंधन:** कई MSME अपनी कार्यशील पूँजी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में संघरण करते हैं।
 - ग्राहकों से होने वाले भुगतान में वलिंब और आपूर्तिकरताओं के साथ लंबे भुगतान चक्र से नकदी प्रवाह संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **आर्थिक उतार-चढ़ाव के प्रतिसिंवेदनशीलता:** MSME क्षेत्र विशेष रूप से आर्थिक मंदी के प्रतिसिंवेदनशील होते हैं, क्योंकि उनके पास चुनौतीपूरण आर्थिक प्रतिस्थितियों का सामना करने के लिये उपयुक्त वित्तीय स्तर नहीं होता है।

■ MSME क्षेत्र के लिये सरकारी पहलें:

- **MSME चैम्पियंस (CHAMPIONS) स्कीम:** MSME-स्सटेनेबल (ZED), MSME-कंपटीटिव (Lean) और MSME-इनोवेटिव [इनक्यूबेशन, डिजिलन, IPR (बोद्धकि संपदा अधिकार) और डिजिटल MSME] के समायोजन से यह योजना MSME को उनकी प्रतिसिपरदधात्मकता और नवाचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **क्रेडिट गारंटी फंड में नविश:** वर्ष 2023-24 के बजट के एक भाग के रूप में सरकार ने सुक्ष्म और लघु उदयमों के लिये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कोष में 9,000 करोड़ रुपए के नविश की घोषणा की है।
- **MSME के प्रदर्शन को बढ़ाने और तीव्र करने के लिये (RAMP):** यह पहल केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर MSME कार्यक्रम के

- तहत संस्थानों और प्रशासन को दृढ़ता प्रदान करने पर केंद्रति है।
- आयकर अधनियम में संशोधन: वित्त अधनियम, 2023 द्वारा **आयकर अधनियम, 1961** की धारा 43B को बदल दिया गया है ताकि MSME हेतु अधिक अनुकूल कर संबंधी प्रावधान कयि जा सके।

आगे की राह

- ईज़ ऑफ डूइंग बज़िनेस: MSMEs के लिये 'व्यापार सुगमता' (Ease of Doing Business) को बेहतर बनाने, नौकरशाही, लालफीताशाही को कम करने और नयिमक अनुपालन को सरल बनाने की दशा में लगातार काम करने की आवश्यकता है।
- मोबाइल इनोवेशन लैब्स: MSME को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, प्रशक्ति और परामर्श तक पहुँच प्रदान करने के लियोबाइल इनोवेशन लैब स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से गरामीण क्षेत्रों को कवर कया जा सके।
 - यह पहल प्रौद्योगिकी अंतर को पाटने और दूरदराज़ के क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
- सरकारी-नज़ी क्षेत्र सह-नवाचार निधि: यह सह-नविश निधि सूजन का समय है, जबकि सरकार नज़ी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझेदारी कर MSME नवाचारों में नविश करेगी।
 - यह सहयोग न केवल नवीन व्यवसायों के विकास का समर्थन करेगा बल्कि सार्वजनिक-नज़ी भागीदारी को भी बढ़ाएगा।
- नवप्रवर्तन प्रभाव आकलन: एक मानकीकृत प्रभाव मूल्यांकन ढाँचा विकसित करने की आवश्यकता है जो MSME क्षेत्र में हुए नवाचारों के सामाजिक और प्रयोगरणीय लाभों को माप सके।
 - ऐसे व्यवसाय जो नवाचारों के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं उन्हें मान्यता और अतिरिक्त समर्थन प्राप्त हो सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रलिमिस:

प्रश्न. विनियोग क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार ने कौन-सी नई नीतिगत पहल की है? (2012)

- राष्ट्रीय नविश एवं विनियोग क्षेत्रों की स्थापना
- एकल खड़िकी मंजूरी (सांगिल विडो क्लीयरेंस) की सुवधा प्रदान करना
- प्रौद्योगिकी अधाग्रहण एवं विकास कोष की स्थापना

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनियि:

- (a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन समावेशी विकास के सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है? (वर्ष 2011)

- स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना
- शक्ति का अधिकार अधनियम को लागू करना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनियि:

- (A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

उत्तर: (D)

प्रश्न. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2023)

- 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधनियम, 2006 के अनुसार, 'जनिका संयंत्र और मशीन में नविश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच है, वे मध्यम उद्यम हैं।'
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिये गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्रक के अधीन अरह हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/self-reliant-india-fund-for-msmes>

